आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(18)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक : 16/9/2022

सचिव,
नगर विकास प्रन्यास,
उदयपुर।

विषयः– उदयपुर नगरीय क्षेत्र–2031 के प्रारूप जोनल डवलपमेन्ट प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव एवं मौका स्थिति के दृष्टिगत मास्टर प्लान में संशोधन प्रस्तावों के अनुमोदन के क्रम में।

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांकः प. F-7( )B.PLAN/MISC/2022/251 दिनांक 14.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा उदयपुर नगरीय क्षेत्र 2031 के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के दृष्टिगत मास्टर प्लान में प्रस्तावित किये गये संशोधन प्रस्ताव के संबंध में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के अनुरूप निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करावें :–

1. **विशेष क्षेत्र 1–** मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार इस क्षेत्र को यथावत रखते हुए विशेष क्षेत्र–1 दर्शाया जावे।
2. **विशेष क्षेत्र 2–** पिक्षोला झील, फतेहसागर झील व उदयसागर झीलों का मास्टर प्लान में दर्शाये झील क्षेत्र, नियंत्रित निर्माण उप–विधि 2013 के अनुसार जोन–एक का उप–जोन–अ का क्षेत्र एवं झील ओथोरिटी की अधिसूचना में उल्लेखित झील क्षेत्र, तीनों में से जो भी अधिकतम हो उसे झील क्षेत्र जोनल प्लान में दर्शाया जावे। उक्तानुसार झील क्षेत्र दर्शाये जाने के पश्चात झील ओथोरिटी द्वारा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र को जोनल डवलपमेन्ट प्लान में भी झील संरक्षित क्षेत्र के रूप में दर्शाया जावे। उपरोक्तानुसार झील क्षेत्र व झील संरक्षित क्षेत्र दर्शाये जाने के पश्चात् मास्टर प्लान उदयपुर में जो आंशिक भू–भाग जी–1 क्षेत्र के रह गये हैं, उनको मास्टर प्लान अनुसार जी–1 ही जोनल डवलपमेन्ट प्लान दर्शाया जावे। इसके अतिरिक्त जोनल डवलपमेन्ट प्लान में अधिसूचना दिनांक 09.12.2013 के अनुसार जोन–1 का उप–जोन–ब, जोन–2 व जोन–3 की सीमाऐं भी दर्शाया जावे।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

3. **विशेष क्षेत्र 3–** पर्यावरण विभाग की अधिसूचना अनुसार सज्जनगढ वन्यजीव अभ्यावरण्य तथा वन विभाग/राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वन भूमि दर्शायी जाकर शेष रहे जी–1 क्षेत्र को विषेश क्षेत्र–3 के स्थान पर पर्यावरणीय विनियमित क्षेत्र (Environmental Regulated Area) के रूप में दर्शाया जावे, जिसमें भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सज्जनगढ वन्यजीव अभ्यारण्य के ईको–सेन्सीटिव जोन की अधिसूचना अनुसार गठित मॉनीटिरिंग समिति द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों हेतु अभिशंषा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
4. **विशेष क्षेत्र 4–** विशेष क्षेत्र–4 के स्थान पर राजस्व विनियमित क्षेत्र (Revenue Regulated Area) के रूप में दर्शाया जावे, जिसमें स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व विभाग से परीक्षण उपरान्त मास्टर प्लान/जोनल प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग अनुसार सम्परिवर्तन/अन्य स्वीकृतियों बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।
5. **विशेष क्षेत्र 5–** विशेष क्षेत्र–5 के स्थान पर विशेष क्षेत्र–2 के रूप में दर्शाया जावे, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं संबंधित राजस्व अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा गठित भू–उपयोग निर्धारण समिति द्वारा भू–उपयोग निर्धारित किया जा सकता है।
6. **विशेष क्षेत्र 6–** क्षेत्र को विशेष क्षेत्र–6 के स्थान पर विशेष क्षेत्र–3 के रूप में दर्शाया जावे, जिसमें स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भाग में पूर्व में जारी स्वीकृतियों के क्रम में तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अधीन राज्य स्तरीय भू–उपयोग निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

भवदीय,

16/9/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय